



Neutral Citation No-2026:AHC:8023

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4472 वर्ष 2025

फूलमती याचिकाकर्ता

बनाम

चकबंदी उपनिदेशक गोरखपुर व 4 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: विनय कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य-प्रतिपक्षी के स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

“i- प्रतिपक्षी संख्या-1 को मामले संख्या-2 में प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा पारित दिनांक 11.11.2024 के आदेश का पालन करने के लिए परमादेश आदेश/निर्देश देने के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करना। RST/0500/2022 राजस्व अभिलेखों में U.P.C.H ACT, 1953 की धारा 48(1) के तहत दायर इसकी कम्प्यूटरीकृत केस संख्या-20225453100000500 (रामायण राय और अन्य बनाम श्रीमती बिंदू देवी और अन्य) दर्ज की गई है।

ii. इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिपक्षी संख्या-1 के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर दिनांक 15.07.2025 के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए प्रतिपक्षियों को आदेश/निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें।



iii. याचिका की लागत याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदान करें।

3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पारित 17.07.2023 के पिछले आदेश को याचिकाकर्ता की ओर से दायर एक बहाली आवेदन में पारित बाद के आदेश 11.11.2024 द्वारा रद्द कर दिया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि, चकबंदी के उप निदेशक द्वारा दिनांक 17.07.2023 के आदेश को रद्द किए जाने के बावजूद, चकबंदी प्राधिकरण उपरोक्त रद्द किए गए आदेश के अनुसरण में भूमि के सीमांकन की कार्यवाही पर अड़े हुए हैं। प्रस्तुत याचिकाकर्ता ने 15.07.2025 को चकबंदी उपनिदेशक के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें भू-राजस्व अभिलेखों में 11.11.2024 के बाद के आदेश का समर्थन करने की मांग की गई है।

4. चकबंदी के उप निदेशक ने मामले को समेकन के निपटान अधिकारी के समक्ष भेजा, जिन्होंने बदले में, मामले को 17.07.2025 को अपने अनुमोदन के माध्यम से चकबंदी अधिकारी के समक्ष भेजा। हालाँकि, दिनांक 11.11.2024 के आदेश के अनुपालन में आज तक कोई उपयोगी कदम नहीं उठाया गया है।

5. स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 15.07.2025 के अपने आवेदन पर चकबंदी के उप निदेशक द्वारा याचिकाकर्ता की शिकायत का अधिक उचित रूप से निवारण किया जा सकता है और उपरोक्त आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी होने की स्थिति में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. उपरोक्त के रूप में परिप्रेक्ष्य में, मामले को लंबित रखने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा; इसलिए, यह न्यायालय मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाने के लिए उचित समझता है, इस निर्देश के साथ कि प्रतिपक्षी संख्या-1 (चकबंदी उप निदेशक) कानून के अनुसार प्रस्तुत याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए उपरोक्त आवेदन दिनांक 15.07.2025 पर निर्णय लेगा, शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर। प्रस्तुत रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति।



7. यह उम्मीद की जाती है कि यह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

8 . उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 7, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)